

करावतास द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

/2017/प्रा.पत्र/

निर्णय दिनांक :- 12/4/2017

अनवान

करामाराम पिता पूराराम आयु 46 वर्ष जाति सालवी निवासी ग्राम ओटा

तहसील भीम जिला राजसमन्द

—प्राथी

बनाम

- 1- श्री प्रेमसिंह पिता हजारीसिंह आयु बालिग जाति रावत।
- 2- श्री मूलसिंह पिता हजारीसिंह आयु बालिग जाति रावत।
- 3- श्री मीठूसिंह पिता वरदसिंह आयु बालिग जाति रावत।
- 4- श्री हुक्मसिंह पिता वरदसिंह आयु बालिग जाति रावत।
- 5- श्री नारायणसिंह पिता वरदसिंह आयु बालिग जाति रावत।
- 6- श्री भैरूसिंह पिता देवीसिंह आयु बालिग जाति रावत।
- 7- श्री प्रतापसिंह पिता देवीसिंह आयु बालिग जाति रावत।
- 8- श्री वनासिंह पिता देवीसिंह आयु बालिग जाति रावत।

समस्त निवासीयान-शक्करगढ़, देवगढ़, तह0 देवगढ़, जिला राजसमन्द

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी

उपस्थित :- श्री लुम्बसिंह वकील प्राथी

प्राथी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम शक्करगढ़ पटवार हल्का मीयाला में प्राथी की भूमि स्थित है जिसके खा.न. 855 रक्बा 1.09 ख.न. 856 रक्बा 3.08 बीघा ख.न. 1128/881/1001 रक्बा 0.05 विस्वा खसरा नम्बर 1129/881 शा.न. 1001 रक्बा 3बीघा कुल किता चार कुल रक्बा 8.02, बीघा

है। उक्त भूमि प्राथी की खातेदारी होकर प्राथीगण ही इसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त कुलिया भूमि पर प्राथीगण निर्बाध रूप से कास्त वगैरह करता आ रहा है लेकिन प्राथीगण की उक्त वर्णित भूमि


कलेक्टर
जिला-राजसमन्द

जहाँ तरह पत्थर की दीवार अथवा पक्की बाउण्ड्री नही होने से विपक्षीगण को प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमा से मिलते हुए पड़ौसी है हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के समय सीमा संबंधी विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमेबाजी हेतु विवश होना पड़ता है मौके पर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक काशत वगैरह कर सकेगा। अतः पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रा.पत्र के सम्मन जारी किया गये। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामिल हो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण बावजूद सूचना प्रस्तुत नहीं रहे। जिससे एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की। विद्वान प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम शक्करगड पटवार हल्का मीयाला में प्रार्थी की भूमि स्थित ख.न. 1128/881/1001 रक्बा 0.05 विस्वा ख.न. 855 रक्बा 1.09 856 रक्बा 3.08 बीघा कुल कित्ता चार कुल रक्बा 8.02, बीघा है जिसके पटवार नम्बर 1129/881 शा.न. 1001 रक्बा 3 बीघा कुल कित्ता चार कुल रक्बा 8.02, बीघा है जिसके प्रार्थी ने पूर्व में पत्थरगढ़ी नही करवाई है। भूमि की पत्थरगढ़ी नही कराने तथा भूमि के स्थाई सीमा पत्थर अथवा पत्थर की पक्की दीवार नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के पड़ौसी विपक्षीगण है हर समय फसल बुवाई, कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते है तथा प्रार्थी की भूमि में काशत कर जाते हैं मौके पर सीमा संबंधी विवाद रहता है तथा प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए विवश होना पड़ता है यदि प्रार्थी की उक्त वर्णितभूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो प्रार्थी अपनी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर सकेगा तथा काशत वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रा.पत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का जांच किया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम माता का गांव पटवार हल्का नराणा तहसील देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं. 2071-2074 में प्रार्थी खातेदार है। खातेदार अपने खाते की भूमि का पत्थरगढ़ी करा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के खाते की भूमि ख.न. 855 रक्बा 1.09 ख.न. 856 रक्बा 3.08 ख.न. 1128/881/1001 रक्बा 0.05 खसरा नम्बर 1129/881 शा.न. 1001 रक्बा 3 बीघा कुल कित्ता चार कुल रक्बा 8.02, बीघा है जो पत्थरगढ़ी कराने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 12/4/2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुनने को नम्बर से कम की जावे।


सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द